न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 27/2021

1. रायसिंह पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा ।
2. बंशीलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. भादरराम पुत्र बलुराम जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा ।
2. लिलूराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा।
3. गुड्डी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा।
4. मंथरा पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा।
5. सन्तोष पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा।
6. आईसीआईसीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रामसरा के खाता सं0 70/66 के खसरा सं0 6 की 1.555है0 खसरा सं0 15 की 5.236है0 खसरा सं0 17 की 2.087है0 खसरा सं0 49 की 5.033है0 खसरा सं0 62/1 की 1.391है0 खसरा सं0 212/1 की 3.705है0 कुल 19.007है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 भादरराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं0 1 भादरराम की बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने तथा यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 रायसिंह,वादी सं0 2 बंशीलाल प्रतिवादी सं0 1 भादरराम व प्रतिवादी सं0 2 लिलूराम, को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:19:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 27/2021

1. रायसिंह पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा ।
2. बंशीलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा।

:- वादीगण

ब ना म

1. भादरराम पुत्र बलुराम जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा ।
2. लिलुराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा।
3. गुड्डी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा।
4. मंथरा पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा।
5. सन्तोष पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रामसरा त0 भादरा।
6. आईसीआईसीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : वादी
वकील श्री विनोद शर्मा : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 25.6.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रामसरा के खाता सं0 70/66 के खसरा सं0 6 की 1.555है0 खसरा सं0 15 की 5.236है0 खसरा सं0 17 की 2.087है0 खसरा सं0 49 की 5.033है0 खसरा सं0 62/1 की 1.391है0 खसरा सं0 212/1 की 3.705है0 कुल 19.007है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 भादरराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा बलूराम की खातेदारी हुआ करती थी। बलूराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 भादरराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमती से दावा की डिक्री पर सहमति व्यक्त करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। वादी ने प्रतिवादी सं0 6 ता 7 को तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:19:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रायसिंह पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रामसरा द्वारा जमाबंदी रोही रामसरा प्रदर्श 1 भूमि जोत रसीद प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही रामसरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही रामसरा प्रदर्श 1 भूमि जोत रसीद प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण के अनुसार भादरराम के तीन पुत्र रायसिंह, बंशीलाल, लिलूराम व तीन पुत्रीयां गुड्डी, मंथरा व सन्तोष तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 जन्म से हक हिस्सा निहित है । चूकिं प्रतिवादी सं0 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा दावा बाबत 88 आरटीएक्ट का है इसलिए मुताबिक राजीनामा विशिष्ट खसरा की घोषणा नहीं की जा सकती है, इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रामसरा के खाता सं0 70/66 के खसरा सं0 6 की 1.555है0 खसरा सं0 15 की 5.236है0 खसरा सं0 17 की 2.087है0 खसरा सं0 49 की 5.033है0 खसरा सं0 62/1 की 1.391है0 खसरा सं0 212/1 की 3.705है0 कुल 19.007है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 भादरराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं0 1 भादरराम की बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने तथा यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 रायसिंह,वादी सं0 2 बंशीलाल प्रतिवादी सं0 1 भादरराम व प्रतिवादी सं0 2 लिलूराम, को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:19:02 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 25.6.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner